न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कंसोटिया (RAS)

राजस्व वाद संख्या – 38/2018

वादी–

बंशीलाल पुत्र श्री गिरधारीराम जाति पटेल उम्र वर्ष निवासी –ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर ।

बनाम

प्रतिवादीगण–

1. सोनाराम पुत्र गिरधारीराम जाति पटेल निवासी ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

उपस्थिति –

01. श्री उर्जाराम पटेल, श्री प्रहलादसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादी
02. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अनुपस्थित
03. प्रतिवादी संख्या 2 राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
04.

वाद बाबत घोषणा, निरस्त करने म्यूटेशन संख्या 142 एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–28/3/2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्ये इस प्रकार से है कि

01.यह है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर के स्थाई निवासी है ।

02.यह है कि वादी एंव प्रतिवादी सख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि वाके ग्राम धुन्धाडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 182 रकबा 44 बीघा 7 बिस्वा व खसरा संख्या 219 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 75 बीघा 16 बिस्वा आई हुई है । जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा सख्या 181 रकबा 49 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय खसरा सख्या 218 रकबा 24 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा 2 कुल रकबा 73 बीघा 16 बिस्वा में 1/4 हिस्से के खातेदार है लेकिन प्रतिवादी सख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट करके उक्त खसरान की कृषि भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा दिया है, उक्त भूमि को वाद के आगामी पदो में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जावेगा

1. यह है कि इस वाद में मुख्य विवाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य है प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाये गये है
2. यह है कि वक्त सेटलमेन्ट वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गिरधारीया, वेना पिसरान प्रभू कौम कलबी के नाम दर्ज थी, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीराम के पुत्र है, इसलिये वादग्रस्त भूमि पर बराबर हिस्सा है तथा कानूनन सम्पूर्ण भूमि में बराबर हिस्सा होने के कारण वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलावट कर फर्जी बटवाडा बताकर अपने नाम म्यूटेशन गिरधारीराम के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

जीवनकाल में ही करवा दिया था, तथाकथित बंटवाडा दिनांक 24.2.1975 का राजस्व विभाग में कही अस्तित्व में ही नही है न ही तहसीलदार जोधपुर द्वारा कोई आदेश पारित नही किया गया है कानूनन खातेदारी भूमि का बटवाडा धारा 53 के तहत वो ही व्यक्ति करवा सकता है जो राजस्व रेकर्ड में खातेदार के रूपा में दर्ज हो, प्रतिवादीस ख्या 1 न तो वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार थे, इसलिये वादग्रस्त भूमि में बंटवाडे या अन्य किसी प्रकार से भी प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हिस्सा नही है। तथाकथित बंटवाडा आदेश विधि विरूद्व फर्जी व मनमाना पूर्ण है ।

3. यह है कि दिनांक 20.5.2017 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि आने वाली दिनांक 24.5.2017 को हमारे ग्राम धुन्धाडा में राजस्व केम्प है, उसी दिन हमारी जमीन का बंटवाडा आसानी से हो सकता है इसलिये केम्प में बंटवाडे की बात कही, तब प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा ठीक है, आने वाली दिनांक 24.5.2017 को केम्प में हमारी जमीन का बंटवाडा करवा देगे तब हम दोनो भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 24.5.2017 को राजस्व केम्प धुन्धाडा में पहुचे और हल्का पटवारी से उक्त वादग्रस्त भूमि के आपसी सहमति बंटवाडे की बात कही, तब वादी को पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि पहले से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तब यह बात वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को बताई, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि यह जमीन मेरे अकेले के नाम कैसे दर्ज हो सकती है, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है तब उसी दिन राजस्व केम्प में दिनांक 24.5.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र माननीय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व केम्प धुन्धाडा में इस आशय का पेश किया कि मेरे पिताजी ने अपने हिससे की जमीन खसरा सख्या 182 व 219 की सारी जमीन मेरे नाम करवा दी उसका हिस्सा मेरे भाई को देने बाबत एंव उक्त प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी सख्या 1 सोनाराम ने जाहिर किया कि खसरा संख्या 182 व 219 मेरे पिताजी की जमीन में सिर्फ मेरा ही नाम दर्ज हो गया है जबकि हम दो भाई है अब मेरे छोटे भाई बंशीलाल का नाम इसमें से 1/2 आधी जमीन में नाम दर्ज करवाने की कृपा करे इस बाबत कोई एतराज नही है। उक्त प्रार्थना पत्र को प्रभारी अधिकारी ने दर्ज कर पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई जिसमें पटवारी हल्का ने यह कहा कि नामान्तरण संख्या 142 के जरिये बंटवाडा अनुसार सोनाराम गिरधारीराम नाम दर्ज किया गया जबकि गिरधारीराम के दो पुत्र सोनाराम व बंशीलाल है । प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्व केम्प में देने पर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया गया और वादी को कहा कि पटवारी हल्का से केम्प के बाद सम्पर्क करना ।

4. यह है कि वादी ने जब पटवारी हल्का धुन्धाडा से सम्पर्क किया व राजस्व रेकर्ड की स्थिति की जानकारी ली, तो प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त धोखाधडी व फर्जीवाडे की जानकारी हुई व पटवारी हल्का ने भी अवगत करवाया कि म्यूटेशन संख्या 142 किस आधार पर आदेश पर भरा गया ऐसा कोई दस्तावेज म्यूटेशन बुक व पटवारी रिकार्ड में उपलबध नही है और न ही ऐसा कोई बंटवाडा का दस्तावेज रेकर्ड में उपलब्ध है। पटवारी हल्का ने वादग्रस्त भूमि से संबधित जो म्यूटेशन दर्ज किया उसकी प्रति व जमाबंदी दिनांक 12.7.2018 को उपलबध करवाई इस प्रकार से तथाकथित म्यूटेशन संख्या 142 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये फर्जीवाडे के आधार पर भरा गया है।

5. यह हे कि प्रतिवादी सख्या 1 का नाम गलत रूप से वादग्रस्त भूमि की खातेदारी मे दर्ज हुआ है, यदि बंटवाडा होता है तो वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गिरधारीराम के दो पुत्र थे, इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने मिलिइड करके वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी है, जबकि प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner

संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर किसी भी दृष्टि से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है ।

6. यह है कि वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी की पैतृक कृषि भूमि है यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के अलावा ग्राम धुन्धाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गिरधारीराम के फौत होने के बाद फोतेदगी नामान्तरकरण में म्यूटेशन संख्य 568, 569, 870, 871, 872, 877, 878, दर्ज किये गये जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज किया गया।

7. यह है कि तथाकथित बंटवाडा के आधार पर जो म्यूटेशन भरा गया है वह पूर्णत फर्जी व बनावटी है ऐसा कोई बंटवाडा वादग्रस्त भूमि के संबध में कभी नही किया गया इसलिये ऐसे बंटवाडे के आधार पर भरा गया म्यूटेशन वेबुनियाद होने से निरस्त किये जाने योग्य है एंव वादी को इस आशय की घोषणात्ममक डिक्री प्राप्त करने का अधिकार है कि वादग्रस्त भूमि में दर्ज म्यूटेशन संख्या 142 शून्य व बेअसर है, उक्त म्यूटेशन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को अकेले कोई अधिकार वादग्रस्त भूमि में दर्ज म्यूटेशन संख्या 142 शून्य व बेअसर है उक्त म्यूटेशन आधार पर प्रतिवादी सख्या 1 को अकेले कोई अधिकार वादग्रस्त भूमि पर प्राप्त नही होता है ।

8. यह है कि वादी को प्रतिवादी सख्या 1 के उक्त कृत्य की प्रथम बार जानकारी दिनाक 24.5.2017 को हुई, जब प्रतिवादी संख्या 1 को राजस्व केम्प में बंटवाडे करने के लिये कहा था उसके बाद दिनांक 12.7.2018 को पटवारी हल्का द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराने पर जानकारी हुई, इसलिये यह वाद वास्ते घोषणा व निरस्त करने फर्जी म्यूटेशन पेश है ।

9. यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद समझाईस के वादग्रस्त भूमि के बराबर हिस्से में बंटवाडा करने को तैयार नही है साथ ही वादी का हक मानने को भी तैयार नही है एंव वादी को कब्जा काश्त से महरूम करना चाहता है व दखलअंदाजी करने पर उतारू है इसलिये वादी को काश्त नही करने देने की धमकी देता है इसलिये यह वाद वास्ते घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा के लिये प्रस्तुत है ।

10. यह है कि वादी ने निम्न प्रकार से वाद वादी के पक्ष में डिक्री करने की प्रार्थना की है कि –

1. यह है कि घोषणा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की सादिर फरमावे कि वादी एंव प्रतिवादी का वाद पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में बराबर हक हिस्सा है व अकेले प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हुआ है, तदनुसार म्यूटेशन संख्या 142 ग्राम धुन्धाडा को शून्य व बेअसर घोषित किया जाये व उक्त आशय की घोषणा की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे और वादग्रस्त भूमि में प्रविष्ट दर्ज करवाने का आदेश दिया जावे ।
2. यह है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की सादिर फरमावे कि वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित भूमि का हस्तांतरण किसी भी प्रकार से स्वंय या किसी अन्य व्यक्ति, संस्था एजेन्ट आदि के मार्फत नही करे तथा वादी के हिस्से के कब्जे व काश्त में दखलअंदाजी नही करे ।
3. यह है कि अन्य कोई अनुतोष जो वादी के पक्ष में हो व न्यायोचित हो सादिर फरमावे । वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादी का वाद पत्र दिनांक 10.9.2018 करे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये समन तलब किये गये । प्रतिवादीगण सख्या 1 की तरफ से दिनांक 24.2.2020 को शामिल संबध प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया था। शेष प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

संख्या 2 के सम्बंध स्वंय द्वारा तामिल प्राप्त हुआ जो तामिल मिसल किया गया ।
प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अनुपस्थित रहे।

12. वाद में प्रतिवादी संख्या 1 जवाबदावा प्रस्तुत करने के अवसार अनेको बाद दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा पेशी दिनांक 21.1.2020 तक भी कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया, तदनुसार उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरूद्व जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर बंद करने के आदेश दिये गये उनकी तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ व न ही प्रतिवादीगण स्वंय उपस्थित हुए अतः उनके विरूद्व पेशी दिनांक 27.1.2020.को एक पक्षीय कार्यवाही अगल में लाने के आदेश दिये गये।

13. पत्रावली में चूंकि एकतरफा कार्यवाही एंव जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर बंद किया गया अतः तनकियान की आवश्यकता नही होने के फलस्वरूप दिनांक 4.7.2022 को वादी को गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया जिस पर पेशी दिनांक 3.8.2022 को वादी का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ जिसे रेकर्ड पर लेते हुए वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 22.11.2022 को अवसर दिया गया । वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में चालू जमाबंदी प्रदर्श 1 जमाबंदी, प्रदर्श 2 नामान्तकरण संख्या 142, प्रदर्श 3, प्रार्थना पत्र दिनांक 24.5.2017 मय जांच रिपोर्ट श्रीमान उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर प्रदर्श 4, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श 6, नकल जमाबंदी, प्रदर्श 7, नामान्तरकरण सख्या 568 प्रदर्श 8, नामान्तरकरण संख्या 569 प्रदर्श 9, नामान्तरकरण संख्या 870, प्रदर्श 10, नामान्तरकरण संख्या 871 प्रदर्श 11, नामान्तरकरण संख्या 872 प्रदर्श 12, नामान्तरकरण संख्या 873 प्रदर्श 13, नामान्तरकरण संख्या 877, प्रदर्श 14, नामान्तकरण संख्या 878, प्रदर्श 15 मृत्यु प्रमाण पत्र पार्वती देवी ।

14. साक्ष्य वादी के रूप में वादी स्वंय के उपस्थित होने के बावजूद प्रतिवादी जिरह के लिये उपस्थित नही । जिरह बंद की गयी पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु नियत की गयी ।

15. पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी के लिये दिनांक 22.11.2022 को नियत की गयी । पत्रावली दिनांक 20.11.2022 को प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही, साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी । पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गयी ।

16. हमने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी तथा साक्ष्य शपथ पत्र व दस्तावेजी की साक्ष्य सहित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 568, 569, 870, 871, 872, 873, 877, 878 गिरधारीराम के फौत होने पर स्वीकृत किये गये हैं जिसमें भी वादी बंशीलाल का नाम ही दर्ज नहीं हैं जिससे वादी स्वयं को गिरधारीराम का वारिस बताकर यह वाद पेश किया गया हैं यह प्रमाणित करने में असफल रहा हैं कि वादी गिरधारी राम का पुत्र हैं । रही बात प्रदर्श संख्या 02 जो कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 142 तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया हैं जो कि तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 24.02.1975 के आधार पर दर्ज किया गया जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी न्यायालय हाजा को नहीं हैं एवं न ही उक्त आदेश दिनांक 24.02.1975 को चुनौती दी गयी हैं । उक्त नामान्तरकरण संख्या 142 तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत होने से उसकी नियमानुसार अपील सक्षम न्यायालय जिला कलक्टर में ही की जा सकती हैं एवं उक्त नामान्तरकरण के सभी प्रभावित पक्षकारों को वादी द्वारा वाद में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया हैं । ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का समर्थन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता हैं आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल होकर दाखिल दफ्तर हो

(पुखराज कंसोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner

डिक्री वसुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कंसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 38 / 2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01 बंशीलाल पुत्र श्री गिरधारीराम जाति पटेल उम्र वर्ष निवासी –ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर		01- सोनाराम पुत्र गिरधारीराम जाति पटेल निवासी ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर । 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 38/2018 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेंज से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के सभी प्रभावित पक्षकारों को वादी द्वारा वाद में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया हैं । ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का समर्थन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं । अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता हैं

मौज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक..... .....को अदा करें।

बसीक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 28/3/2023 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.-
स्टाम्प अरजी दावा स्आम्प			स्टाम्प अरजी दावा		
वकालतनामा			स्टाम्प		
स्टाम्प वजह सबूत			वकालतनामा		
महनताना वकील			स्टाम्प वजह सबूत		
खर्चा गवाहान			महनताना वकील		
फीस कमिष्नर			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			फीस कमिश्नर		
			बाबत इजराय हुक्मनामा		
			मुतफर्रिक		
			मीजान		

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner